**प्रेस विज्ञप्ति**

**जनपद सोनभद्र**

**दिनांक 25.07.2025**

**थाना ओबरा पुलिस द्वारा चोरी से सम्बन्धित प्रकरण में कबाड़ व्यवसायी सहित 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार व 3 नफर नाबालिको को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा मौके से चोरी की गयी 143 किलो तांबा (मोटर बैन्डिंग तांबे का तार) व 120 किलो एल्युमीनियम का तार कुल अनुमानित कीमती करीब 02 लाख रुपये व घटना में प्रयुक्त वाहन स्कार्पियो कीमती 08 लाख रुपये बरामद-**

**प्रकरण-** आवेदक श्री सुमन्त कुमार मौर्या पुत्र श्री वेद प्रकाश मौर्या निवासी गजराज नगर थाना ओबरा सोनभद्र द्वारा थाना ओबरा पर लिखित तहरीर दी गयी कि गजराज नगर स्थित गणपति इलेक्ट्रिकल वर्क्स के नाम से मेरा मोटर बाइन्डिगं की दुकान है जिसमें दिनांक 16/17.07.2025 की रात दुकान की छत का टीन शेड तोडकर अज्ञात चोरो द्वारा मोटर बाधने के ताबा के तार के कई बन्डल चुरा ले गये ।इस सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 159/25 धारा 305(क), 331(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा विशेष दिशा-निर्देश दिया गया उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी ओबरा श्री हर्ष पाण्डेय के निकट पर्वेक्षण में घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 25.07.2025 को गठित टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए पंजीकृत मु0अ0सं0 159/25 धारा 305(क), 331(4), बीएनएस से सम्बन्धित से 02 नफर अभियुक्तगण 1. कबाड व्यवसायी सुनील कुमार अग्रहरी पुत्र स्व0 काशीनाथ अग्रहरी निवासी भलुआ टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 22 वर्ष 2 दीपक कुमार उर्फ मोखे पुत्र लालजी निवासी बिल्ली थाना ओबरा जनपद सोनभद्र व घटना में शामिल 03 नफर बाल अपचारी को मुखबीर की सूचना पर समय करीब 6.30 बजे सुबह चोपन रोड बिल्ली चढ़ाई के पास से गिरफ्तार/अभिरक्षा में लिया गया तथा इनके द्वारा चोरी किया गया 143 किलो तांबा (मोटर बैन्डिंग तांबे का तार) व 120 किलो एल्युमीनियम का तार कुल अनुमानित कीमती करीब 02 लाख रुपये व घटना में प्रयुक्त वाहन स्कार्पियो कीमती 08 लाख रुपये बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभिरक्षा में लिये गये बाल अपचारी किशोरो को रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

**पूछताछ का विवरण-** पूछताछ पर अभियुक्तगण व बाल अपचारियो द्वारा बताया गया कि दिनांक 16/17.07.2025 की रात हमलोगों ने डाला मोड़ से आगे इलेक्ट्रानिक की दुकान की छत (सीट) काटकर तांबे का तार चोरी करके कबाड़ व्यवसायी सुनील कुमार अग्रहरी की दुकान पर बेचा था जिसको कबाड़ व्यवसायी सुनील अग्रहरी द्वारा उँचे दाम पर बेचने हेतु स्कार्पियो वाहन से जनपद वाराणसी ले जा रहा था।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-**

1.सुनील कुमार अग्रहरी पुत्र स्व0 काशीनाथ अग्रहरी निवासी भलुआ टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 22 वर्ष।

2.दीपक कुमार उर्फ मोखे पुत्र लालजी निवासी बिल्ली थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 22 वर्ष।

अभिरक्षा में लिये गये 03 नफर बाल अपचारी।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.तांबा कुल 143 किलो ( मोटर बैन्डिंग में प्रयोग होने वाला तांबे का तार) , एल्युमीनियम का तार कुल वजन करीब 120 किलो ( कुल अनुमानित कीमत 2 लाख रूपया) एवं विक्री का कुल 7000 रुपया नगद बरामद।

2- घटना में प्रयुक्त वाहन स्कार्पियो नं0-UP82R7941 बरामद।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1.उ0नि0 रामसिंह यादव थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

2.उ0नि0 राजेश दुबे थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

3.उ0नि0 रामलोचन थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

4.का0 धर्मेन्द्र राजभर थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

5.का0 प्रवीण कुमार राय थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

6.म0का0 रीनू थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।